155
4.05

संख्या–1567/X–2–2017–12(54)2012

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 15 सितम्बर 2017

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 के राज्य सेक्टर योजना "वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण" हेतु स्वीकृत आय–व्यय के सापेक्ष अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन उत्तरखण्ड के पत्र सं0 नि0–35/3–5(आवा0/अना0) दिनांक 06.07.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर योजना **"वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण"** के अन्तर्गत शासनादेश सं0–897/X–2–2017–12(54)2012 दिनांक 09.06.2017 द्वारा लेखानुदान की आवंटित धनराशि ₹20.00 लाख को समायोजित करते हुए वर्तमान में निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार ₹40.00 लाख **(रचालीस लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार रुमें)

क्र.स.	लेखाशीर्षक	आवंटित धनराशि
1.	4406–वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01–वानिकी 101–वन संरक्षण और विकास 04–वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण	
	25–लघु निर्माण कार्य	1333
	29–अनुरक्षण	2667
	योग	**4000**

1. मानक मद 25–लघु निर्माण कार्य में आवंटित धनराशि से प्रस्तावित प्रत्येक निर्माण कार्य की लागत ₹5.00 लाख से अधिक न हो अर्थात इस धनराशि से ₹5.00 लाख तक की ही लागत के निर्माण कार्य कराये जाए। सर्वप्रथम गत वर्षो के अवशेष कार्य पूर्ण किये जाय तदोपरांत ही नए कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त की जाय। मानक मद 29–अनुरक्षण में मात्र अनुरक्षण कार्य ही सम्पादित किये जाए।
2. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के सं0–610/3(150)XXVII(1)/2017 दिनांक 30.6.2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

.....2

4. कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।
5. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।
7. बजट प्राविधान किसी भी लेखा शीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है. अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाय।
8. आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में वर्णित लेखाशीर्षक की प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट आई0डी0–S1709270061 दिनांक 12.09.2017 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0–610/3(150)XXVII(1)/2017 दि0 30.6.2017 के सन्दर्भ में निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–1567/X–2–2017–12(54)2012 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

C:\Bhupendra Joshi\2017-18\Plan G.O..docx

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **1567/X-2-2017-12(54)2012**

अनुदान संख्या - **027**

अलोटमेंट आई डी - **S1709270061**

आवंटन पत्र दिनांक -12-Sep-2017

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: लेखा शीर्षक 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय 01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण और विकास

04 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण एवं सुदृढीकरण

00 - वन विभाग के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	15575000	0	15575000
25 - लघु निर्माण कार्य	667000	1333000	2000000
29 - अनुरक्षण	1333000	2667000	4000000
	17575000	**4000000**	**21575000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 4000000